7. वाणिज्य

पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में लगभग तीन गुणा बढ़ोतरी के साथ भारत के आर्थिक विकास में विदेश व्यापार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। भारत आज इंजीनियरी वस्तुएं, अयस्क तथा खनिज, रसायन और संबद्ध उत्पाद, रत्न और आभूषण आदि का निर्यात कर रहा है। पिछले कुछ समय से पेट्रोलियम-उत्पाद जैसी मदों का विशाल क्षेत्र भी इसमें शामिल है। देश के आयात में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। आयात की जाने वाली वस्तुओं में बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम और कच्चे उत्पाद, उर्वरकों, निर्यात किए जाने वाले कीमती तथा अर्ध-कीमती रत्न और पूंजीगत सामान, कच्चा माल, उपभोक्ता वस्तुएं तथा औद्योगिक उत्पादन और प्रौद्योगिकी सुधार में काम आने वाले मध्यवर्ती उत्पादों का है।

सारणी 7.1
भारत का विदेश व्यापार

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	व्यापार घाटा
1991-92	44,042	47,851	91,893	-3,809
1992-93	53,688	63,375	1,17,063	-9,686
1993-94	69,751	73,101	1,42,852	-3,350
1994-95	82,674	89,971	1,72,645	-7,297
1995-96	1,06,353	1,22,678	2,29,031	-16,325
1996-97	1,18,817	1,38,920	2,57,737	-20,103
1997-98	1,30,101	1,54,176	2,84,277	-24,075
1998-99	1,39,753	1,78,332	3,18,085	-38,579
1999-2000	1,59,561	2,15,236	3,74,797	-55,675
2000-01	2,03,571	2,30,873	4,34,444	-27,302
2001-02	2,09,018	2,45,200	4,54,218	-36,182
2002-03	2,55,137	2,97,206	5,52,343	-42,069
2003-04	2,93,367	3,59,108	6,52,475	-65,741
2004-05	3,75,340	5,01,065	8,76,405	-1,25,725
2005-06	4,56,483	6,35,013	10,91,496	-1,78,530
2006-07	5,71,779	8,40,506	14,12,286	-2,68,727
2007-08 (अ)	6,40,172	9,64,172	16,05,022	-3,24,678

(अ)-अस्थायी आंकड़े

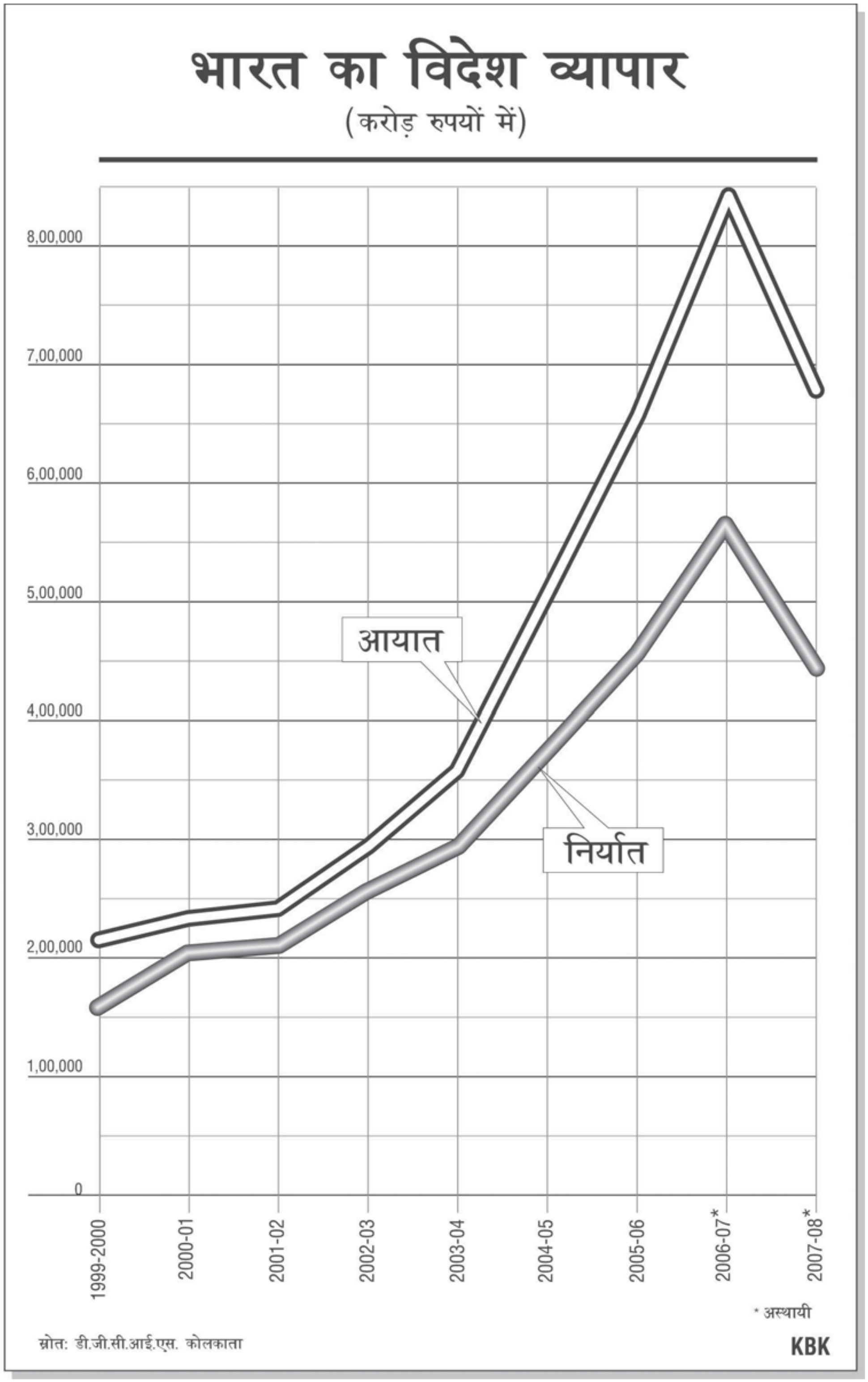

भारत का विदेश व्यापार
(करोड़ रुपयों में)
8,00,000
7,00,000
6,00,000
5,00,000
4,00,000
3,00,000
2,00,000
1,00,000
0
आयात
निर्यात
1999-2000
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07*
2007-08*
* अस्थायी
स्रोत: डी.जी.सी.आई.एस. कोलकाता
KBK

व्यापार परिदृश्य

देश का कुल विदेश व्यापार 1950-51 में (आयात और निर्यात जोड़कर, जिसमें पुनर्निर्यात भी शामिल था) 1,214 करोड़ रुपये था। तबसे इसमें कभी-कभार आई कमी को छोड़कर निरंतर वृद्धि होती रही है। वर्ष 2007-08 में भारत का विदेश व्यापार 16,05,022 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। सारणी 7.1 में वर्ष 1991-92 से 2007-08 (अस्थाई) तक के भारत के आयात, निर्यात, विदेश व्यापार का कुल मूल्य और व्यापार संतुलन के आंकड़े दिए गए हैं।

वर्ष 2007-08 के दौरान भारत का व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात डालर के संदर्भ में लगभग 26% की वृद्धि के साथ 159 अरब अमेरिकी डालर के लक्ष्य का रहा। रुपये में देखें तो वर्ष 2007-08 के दौरान व्यापारिक वस्तुओं का कुल निर्यात 6,40,172 करोड़ रुपये का था, जबकि 2006-07 में कुल निर्यात 5,71,779 करोड़ रुपये का था। इस प्रकार निर्यात में 12% की वृद्धि हुई। भारत के निर्यात में यह वृद्धि विश्व अर्थव्यवस्था के साथ-साथ विश्व की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा बहुत अधिक है।

इसी के साथ आयात वर्ष 2006-07 के 8,40,506 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2007-08 में 29.1% की वृद्धि के साथ 9,64,850 करोड़ रुपये का हुआ। वर्ष 2007-08 में व्यापार घाटा (-) 3,24,678 करोड़ रुपये का रहा, जबकि वर्ष 2006-07 में यह (-) 2,68,727 करोड़ रुपये का था।

भारत के व्यापारिक संबंध सभी बड़े व्यापारिक ब्लाकों और विश्व के सभी भौगोलिक क्षेत्रों से हैं। क्षेत्रवार और उपक्षेत्रवार वर्ष 2006-2007 और 2007-08 के दौरान व्यापार के प्रसार को सारणी 7.2 में दिया गया है। डालर के रूप में देखें तो भारत के कुल निर्यात का 51.54% निर्यात एशिया और ओशियाना को हुआ। इसके बाद यूरोप (22.99%) और अमेरिका (17.04%) का स्थान रहा। उसी अवधि में भारत का आयात भी एशिया और ओशियाना से सर्वाधिक (62.52%) रहा, उसके बाद यूरोप (19.97%) और अमेरिका (9.05%) का स्थान रहा।

सारणी 7.2

भारत के व्यापार की दिशा

(मूल्य करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	निर्यात		आयात	
	2006-07 (अप्रैल-मार्च)	2007-08 (अ) (अप्रैल-मार्च)	2006-07 (अप्रैल-मार्च)	2007-08 (अ) (अप्रैल-मार्च)
I यूरोप	1,30,639	1,47,182	1,81,525	1,92,641
1.1 ई यू (25 देश)	1,21,296	1,36,113	1,34,990	1,39,555
1.2 अन्य पश्चिमी-पूर्वी देश	8,979	10,642	46,265	52,942
1.3 पूर्वी यूरोप	364	427	269	144
2. अफ्रीका	38,062	44,922	51,519	60,151
3. अमेरिका	1,09,706	1,09,094	88,843	87,336
4. एशिया और ओशियाना	2,85,092	3,29,952	4,97,327	6,03,196
5. सी आई एस और बाल्टिक देश	6,688	6,996	17,481	15,240
6. अनिर्दिष्ट क्षेत्र	1,593	2,027	3,812	6,286

(अ)-अस्थायी आंकड़े

निर्यात

निर्यात में हाल के वर्षों में रुपये के रूप में वृद्धि का रुझान देखा गया है। साथ ही उसका आधार भी व्यापक हुआ है। निर्यात में हर वर्ष उतार-चढ़ाव के होते हुए भी वर्ष 2006-07 सहित पिछले कुछ वर्षों में जिन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई है, उनमें कृषि और संबद्ध उत्पाद, अयस्क और खनिज, रत्न और आभूषण, रसायन और संबद्ध उत्पाद, इंजीनियरी वस्तुएं और पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि में किए गए प्रमुख वस्तुओं के निर्यात के तुलनात्मक आंकड़े सारणी 7.3 में दिए गए हैं :

सारणी 7.3
प्रमुख वस्तुओं का निर्यात

(करोड़ रुपये में)

क्र.	वस्तुएं	2006-2007 (अप्रैल-मार्च)	2007-2008 (अप्रैल-मार्च)	प्रतिशत वृद्धि/ह्रास
	कुल वस्तुएं	5,71,779	6,40,172	12.0
1.	बागान उत्पाद	3,939	3,890	-1.2
2.	कृषि और संबद्ध उत्पाद	39,345	53,966	37.2
3.	समुद्री उत्पाद	8,001	6,855	-14.3
4.	अयस्क और खनिज	31,686	36,254	-14.4
5.	चमड़ा और चमड़े का सामान	13,650	13,816	1.2
6.	रत्न और आभूषण	72,295	79,142	9.5
7.	खेल का सामान	574	535	-6.8
8.	रसायन और संबद्ध उत्पाद	83,357	87,284	4.7
9.	इंजीनियरी सामान	1,19,875	1,33,839	11.7
10.	इलेक्ट्रानिक सामान	13,293	13,490	1.5
11.	परियोजना-गत सामान	622	516	-17.0
12.	वस्त्र	74,391	72,841	-2.1
13.	दस्तकारी सामान	1,982	1,855	-6.4
14.	गलीचे	4,199	3,703	-11.8
15.	कच्ची रुई (रद्दी रुई सहित)	6,108	8,000	31.0
16.	पेट्रोलियम उत्पाद (अ)	84,520	1,00,125	18.5

(अ)-अस्थायी आंकड़े

आयात

घरेलू खपत, निवेश, उत्पादन और निर्यात के लिए कच्चे माल की जरूरतें पूरी करने हेतु आयात किया जाता है। थोक में किए जाने वाले आयात में 2007-08 के दौरान रुपये के रूप में देखें तो इसमें 18.5

प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह कुल आयात का 46.76 प्रतिशत था। इस वर्ष में उर्वरक, अनाज, खाद्य तेल, अखबारी कागज और पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं। आयात की जानेवाली अन्य प्रमुख वस्तुओं में मोती, सोना और चांदी, मशीनरी, औषधि और भेषजीय उत्पाद, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, कृत्रिम रेसिन आदि शामिल हैं। वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान आयात की गयी प्रमुख वस्तुओं का विवरण सारणी 7.4 में दिया गया है।

सारणी 7.4
प्रमुख वस्तुओं का आयात

(करोड़ रुपये में)

	वस्तुएं	2006-07 (अप्रैल-मार्च)	2007-08 (अ) (अप्रैल-मार्च)	वृद्धि/ह्रास (%)
		8,40,506	9,64,850	14.8
1.	थोक आयात	3,80,741	4,51,175	18.5
	अनाज और उसके उत्पाद	5,996	2,839	-52.7
	उर्वरक	14,227	21,764	53.0
	खाद्य तेल	9,540	10,299	8.0
	चीनी	3	2	-34.3
	लुगदी और रद्दी कागज	2,893	3,098	7.1
	गत्ता और उससे तैयार माल	5,626	6,298	12.0
	अखबारी कागज	2,407	2,227	-7.5
	कच्चा रबड़	2,854	3,163	10.8
	अलौह धातुएं	11,787	14,053	19.2
	धातुमय अयस्क और धातु उत्पाद	37,764	31,828	-15.7
	लोहा और इस्पात	29,071	34,962	20.3
	पेट्रोलियम (अशोधित) और उत्पाद	2,58,572	3,20,641	24.0
2.	मोती, कीमती और अर्द्ध कीमती रत्न	33,881	32,108	-5.2
3.	मशीनरी	1,20,952	1,33,273	10.2
	मशीनरी संयंत्र	6,703	8,900	32.8
	मशीनरी के अतिरिक्त विद्युत संयंत्र	62,672	79,156	26.3
	विद्युत संयंत्र	8,868	12,009	35.4
	यातायात संसाधन	42,709	33,208	-22.3
4.	परियोजनागत सामान	8,126	5,191	-36.1
5.	अन्य	2,96,806	3,43,103	15.6
	जिनमें निम्न शामिल हैं :			
	इलेक्ट्रॉनिक सामान	72,275	81,827	13.2

सोना और चांदी	66,272	71,848	8.4
कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन	35,433	39,772	12.3
कोयला, कोक एवं ब्रिकेट्स	20,710	25,815	24.7
कृत्रिम रेसिन, आदि	11,696	14,835	26.8
व्यावसायिक यंत्र आदि	10,593	12,324	16.3
धातु निर्मित वस्तुएं	7,256	10,700	47.5
औषधि और भेषजीय उत्पादन	5,866	6,699	14.2
रसायनिक उत्पाद	5,980	6,539	9.3
काष्ठ और काष्ठ उत्पादन	4,684	5,454	16.4

(अ)–अस्थाई आंकड़े

निर्यात संवर्द्धन के उपाय

सरकार निर्यात संवर्द्धन के लिए सतत प्रयासरत रहने के साथ-साथ निर्यात निष्पादन कार्य की सतत निगरानी करती है और निर्यात की नीतियां बना रही है। सरकार ने 31 अगस्त, 2004 को विदेश व्यापार नीति 2004–09 की घोषणा इस दृष्टि से की थी ताकि पांच वर्षों में विश्व व्यापार में देश का हिस्सा दोगुना हो सके और अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें।

विदेश व्यापार नीति की स्थिरता से सापेक्षिक परिणाम मिले हैं और विदेश व्यापार नीति के लागू होने के तीन वर्षों में ही भारत के व्यापारिक निर्यात में सराहनीय वृद्धि हुई है। विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजेड. अधिनियम, 2005 के तहत बनायी गई नीति के अंतर्गत देश भर में एसईजेड स्थापित करने के अलावा फोकस प्रोडक्ट स्कीम, फोकस मार्केट स्कीम, विशेष कृषि और ग्रामोद्योग योजना, ड्यूटी इंटाइटिलमेंट पासबुक स्कीम, डीईपीबी और निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तु योजना आदि शुरू करने का काम किया गया। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा वर्ष 2008 में एफटीपी विनिर्माण क्षेत्र के आधुनिकीकरण, निर्यात आधारित इकाइयों को आयकर में एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए शतप्रतिशत तक की छूट का काम लाभ देना, खेल से संबंधित वस्तुओं, खिलौने, ताजे फल, सब्जी और फूल के निर्यात को बढ़ावा देना तथा डीईपीबी योजना को 31 मई, 2009 तक बढ़ाना शामिल है।

एफटीपी द्वारा निर्यात को नई शिखर तक ले जाने के लिए तय की गई संकल्पना और इसकी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। भारत का वाणिज्यिक व्यापार पिछले चार वर्ष से 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। इस कारण से बढ़ी हुई व्यापारिक गतिविधियों के मद्देनजर इस अवधि में 1.36 करोड़ रोजगार के नए अवसर सृजित हुए। पिछले कुछ वर्षों में भारत की उच्च निर्यात दर सरकार द्वारा व्यापार के रास्ते में आने वाले अवरोधों को कम करने, विनियम मूल्य में कमी और व्यापार के अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए किए गए गंभीर और सार्थक प्रयासों के कारण संभव हो सका। ये प्रयास वर्ष 2008–09 में 200 अरब डालर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने तक जारी रहेंगे।

बहुराष्ट्रीय व्यापार मुद्दे और पहल

जेनेवा वार्ता इस तरह नहीं टूटे हैं कि उन्हें पुन: आरंभ न किया जा सके। अस्थायी रूप से थम गए हैं। सरकार को पूर्ण आशा है कि जब उपयुक्त समय आएगा, एक बैठक बुला ली जाएगी और कृषि

एवं गैर-कृषि बाजार पहुंच (NAMA) के नियमों के अधीन और निकट हो सकेगा। लघु मंत्रिस्तरीय बैठक को अपने उद्देश्य की पूर्ति तक पहुंचने से पहले ही समाप्त कर दिया गया क्योंकि कुछ विषयों विशेषकर सुरक्षा व्यवस्था पर आम सहमति नहीं बन पाई थी लेकिन बहुत से दूसरे विषयों पर सहमति पाई गई थी।

विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों ने युरोगोए राऊंड के मुकाबले में दरों में 50 प्रतिशत अधिक कटौती किए थे। विकासशील देश अपनी दरों में लगभग 36 प्रतिशत औसत कटौती करने जा रहे हैं। विकासशील देशों में कृषि व्यापार की संरचनात्मक खामियों के कारण और दरों में अधिक कटौती की चोट से विकासशील देशों के गरीब किसानों की आजीविका को बचाने की आवश्यकता के मद्देनजर दोहा प्रस्ताव में विशेषकर कृषि तथा सुरक्षा व्यवस्था की गई। इसी के आधार पर जुलाई फ्रेमवर्क और हांगकांग घोषणा तैयार की गई।

यद्यपि विशेष उत्पाद इस प्रकार तय किया गया है कि विकासशील देशों को अपनी विशेष और अति संवेदनशील उत्पाद ख़ासकर अवस्थित किसानों की रोजी-रोटी को प्रभावित करने वाली और राष्ट्र की खाद्यान सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले उत्पादन में फार्मूला के अनुसार कटौती से कम कटौती करने की आज्ञा मिल सके लेकिन विशेष सुरक्षा व्यवस्था तंत्र (एसएसएम) इस प्रकार बनाया गया है कि आयात में अचानक बढ़ोतरी और मूल्यों में गिरावट के कारण किसानों को अचानक होने वाली हानि से बचाया जा सके और इसके लिए बढ़ती हुई दर से अधिक और विशेष सुरक्षा शुल्क लगाया गया है।

एसएसएम में असहमति से केवल भारत ही प्रभावित नहीं है बल्कि इससे प्रभावित होने वाले अविकसित देश या कम विकसित और कम विकासशील दुनिया के सौ से अधिक देश हैं। जी 33 (जिसमें 46 सदस्य हैं), अफ्रीकी समूह (53 देश) और अफ्रीकी केरेबियन-पैसेफिक समूह और छोटे अति संवेदनशील अर्थव्यवस्था को भी मिलाकर सौ से अधिक देश बनते हैं जिन्होंने व्यापार की मात्रा और मूल्यों में बढ़ोतरी पर प्रभावपूर्ण विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने 27 जुलाई को एक संयुक्त बयान जारी करके बढ़ोतरी और भरपाई वाले उपाय करने के बारे में अपनी आवश्यकताओं पर ज़ोर दिया है और उनकी पूर्ति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

किसी भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था तंत्र (एसएसएम) के लिए बढ़ोतरी बहुत आवश्यक है क्योंकि इससे इस बात का पता चलता है कि सुरक्षात्मक शुल्क कब लगाया जाए। यदि बढ़ोतरी बहुत अधिक हो तो एसएसएम के प्रभाव समाप्त हो जाएंगे क्योंकि उसका उपयोग अति असाधारण स्थिति में हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि बढ़ोतरी का कारण औचित्यपूर्ण हो।

हमारे विशेष उत्पाद में हम लोगों ने 5 प्रतिशत शून्य कटौती पर बात की है यानी जो भी दर तय की जाए उसमें से 5 प्रतिशत दर में कटौती नहीं होगी। अन्य दूसरी दरों में बहुत कम कटौती होगी। इस प्रकार विशेष उत्पादनों के लिए, जिन पर या तो दरों में कटौती नहीं होगी या होगी भी तो कम होगी क्योंकि वह हमारी अति संवेदनशील उत्पादन हैं, एक वरिष्ठ विकसित देश ने गत् तीन वर्षों की औसत आयात से 40 प्रतिशत अधिक बढ़ोतरी पर बल दिया था। अर्थात् यदि किसी विशेष उत्पाद की औसत आयात तीन वर्षों की अवधि में 100 एमटी है और यह आयात बढ़कर 140 एमटी से अधिक नहीं पहुंची तो उस पर सुरक्षात्मक शुल्क लागू नहीं होगा। यह विशेष सुरक्षा की बढ़ोतरी की सतह से काफी ऊपर है जिनपर विकसित देश अपनी कृषि के व्यापारिक लाभ की सुरक्षा के लिए युरोगोए राऊंड (1995) के शुभारंभ से अमल करते आ रहे हैं।

विकासशील देशों के विस्तृत पैमाने पर गठजोड़ ने इस प्रस्ताव को असहनीय करार दिया क्योंकि इससे एसएसएम वास्तविक अर्थों में निरर्थक होकर रह जाएगा। पूरी दुनिया में 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन एक डालर से भी कम में गुजारा करते हैं इसलिए हमने यह दलील पेश की कि यद्यपि भारत संरचनात्मक और संतुलित होने के लिए तैयार है लेकिन ऐसा कोई समाधान स्वीकार नहीं करेगा जिससे जनसाधारण की रोज़ी-रोटी को गंभीर संकट का सामना करना पड़े। 'ग्रीन रूम में', जिसमें 30 से अधिक देशों के मंत्री उपस्थित थे, इस प्रश्न पर जब आम सहमति नहीं हुई तो इस मामले को सात देशों (अमरीका, यूरोपीय आयोग, जापान, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन और भारत) के समूह के हवाले किया। इस समूह के मुख्य महानिदेशक, विश्व व्यापार संगठन हैं तथापि विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक और तदोपरांत (G 7 में से) छह देशों के प्रयासों के बावजूद जब इस विषय का समाधान नहीं किया जा सका तो एक प्रमुख विकसित देश ने प्रस्तावित तमाम समाधानों को अस्वीकृत करार दिया, लेकिन उसके बाद कई दिनों तक कोशिश जारी रखी गई और तब भी आम सहमति नहीं बनी तो लघु-मंत्रिस्तरीय बैठक को रद्द कर देना पड़ा।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि दोहा वार्ता का मुख्य उद्देश्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के पथ को महत्वपूर्ण चरण तक पहुंचाया जाए। यद्यपि यह सत्य है कि व्यापार को दिशा-निर्देश देने वाले व्यापारिक लाभ सदा उपस्थित रहेंगे। लेकिन इन को विकासशील देशों के करोड़ों निर्धन और संवेदनशील किसानों की आजीविका के साधनों पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। वर्तमान खाद्य संकट और खाद्य पदार्थों के मूल्य में असाधारण बढ़ोतरी के परिपेक्ष्य में यह बात और भी महत्वपूर्ण हो गई है कि निर्धन किसानों के लिए आजीविका के साधनों की सुरक्षा व्यवस्था की जाए और विकासशील देशों में लंबी अवधि के लिए खाद्य सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए। भारत और दूसरे विकासशील देश एसएसएम समस्या का समाधान ढूंढने के लिए इन दो विषयों पर समझौता नहीं कर सकते।

एसएसएम अकेला ऐसा मामला नहीं है जिसपर कोई पहल नहीं हो सकी। विकासशील देशों के और भी कई ऐसे विशेष ध्यानाकर्षक मामले ठप पड़े रहे, जिनमें कपास, प्राथमिकता की समाप्ति, डी एफ क्यू एफ आदि सम्मिलित हैं। एसएसएम के प्रश्न पर गतिअवरोध पैदा हो जाने से इन विषयों पर सिरे से कोई बात नहीं हो सकी। यद्यपि अन्य विकसित देशों के मध्य कुल व्यापार में कटौती, समाप्त होते हुए घरेलू समर्थन, संवेदनशील उत्पाद, मूल्यों का अंतिम सीमा निर्धारण, मूल्यों में सरलीकरण पर विचार-विमर्श हुआ। अन्य विकसित देशों ने मूल्यों के विषय में विशेष व्यवस्था बनानी चाही या कोई विशेष छूट मांगी लेकिन इस प्रश्न पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका।

बड़े विकसित देशों ने विकासशील देशों से यह इच्छा भी प्रकट की कि वह एक सीमित अंश पर सहमत हो जाएं जिसके तहत लाभ एक जगह एकत्रित न हो सकें और औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में आंशिक तौर पर हिस्सा लेना आसान हो सके। अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका आदि जैसे विकासशील देशों की विशेष समस्याओं के लिए विशेष समाधान ढूंढने की आवश्यकता थी लेकिन उनकी समस्या पर भी विचार नहीं हो सका। नामा में वरीयता कटौती भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसपर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श नहीं हो सका।

वर्तमान में गतिअवरोध के नतीजे में विश्व व्यापार संगठन के तमाम सदस्यों को विचार करना

पड़ा कि आगे का रास्ता क्या होगा, भारत 2008 की समाप्ति तक या उसके तुरंत बाद जिस प्रकार शीघ्र संभव हो, दोहा राऊंड को पूर्ण करने के वचन पर अटल है। भारत मुख्य समस्या पर समझौता किए बगैर संरचनात्मक और संतुलित व्यवहार अपनाने को तैयार है। हम लोग मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान जेनेवा में पहल करने के लिए सूचना को पहुंचाने के लिए तैयार हैं और अपने भविष्य के कार्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए अन्य संबंधित देशों के दृष्टिकोण और विचारों के साथ-साथ मार्गदर्शन चाहते हैं।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

भारत एशिया का पहला देश है जिसने निर्यात संवर्धन में निर्यात संसाधन क्षेत्र (ईपीज़ेड) की महत्ता को स्वीकार किया और 1965 में कांडला में एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित किया, इसके बाद सात और ऐसे क्षेत्र स्थापित किए गए। अत: ये क्षेत्र नियंत्रण और अनुमति के बारे में बहुलता, विश्व स्तरीय ढांचे की गैर मौजूदगी तथा अस्थायी वित्तीय व्यवस्था के कारण निर्यात संवर्धन के प्रभावी माध्यम नहीं बन सके। निर्यात संवर्धन क्षेत्र की ख़ामियों को दूर करते हुए कुछ नई बातें जोड़ते हुए अप्रैल, 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा की गई।

विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति का उद्देश्य अच्छी ढांचागत सुविधाओं और केंद्र तथा राज्य दोनों स्तर पर आकर्षक वित्तीय पैकेज, न्यूनतम संभव नियमों की मदद से विशेष आर्थिक क्षेत्र को आर्थिक विकास का इंजिन बनाना है। विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- एक निर्दिष्ट शुल्क मुक्त क्षेत्र जिसे व्यापार संचालन तथा शुल्क एवं तटकर के लिए विदेशी क्षेत्र माना जाएगा।
- आयात के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं।
- विनिर्माण या सेवा गतिविधियों की अनुमति।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयां तीन वर्ष के अंदर विदेशी मुद्रा की कमाई में शुद्ध लाभ अर्जित करने लगेंगी।
- पूरे सीमा शुल्क के साथ घरेलू बाजार में बिक्री तथा आयात नीति लागू।
- उपानुबंध की पूर्ण स्वतंत्रता।
- निर्यात/आयात माल की सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा नियमित जांच नहीं।

विशेष आर्थिक क्षेत्र की व्यवस्था स्थायी बनाने के लिए और अधिकतम आर्थिक गतिविधियों के संचालन से रोज़गार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयां तीन वर्ष के अंदर विदेशी मुद्रा की कमाई में शुद्ध लाभ अर्जित करने लगेंगी।

- पूरे सीमा शुल्क के साथ घरेलू बाजार में बिक्री तथा आयात नीति लागू।
- उपानुबंध की पूर्ण स्वतंत्रता।
- निर्यात/आयात माल की सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा नियमित जांच नहीं।

विशेष आर्थिक क्षेत्र की व्यवस्था स्थायी बनाने के लिए और अधिकतम आर्थिक गतिविधियों के संचालन से रोज़गार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम बनाया गया है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 और विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 10 फरवरी, 2006 से प्रभावी हुए हैं। अधिनियम के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों को विदेशी निवेश सहित निवेश बढ़ाने के लिए दी गई सुविधाओं में शुल्क मुक्त निर्यात/विकास के लिए घरेलू बाजार वस्तुओं की खरीद, विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों का संचालन और रखरखाव, आयकर अधिनियम की धारा 10 एए के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों को आय पर पहले पांच वर्षों तक कर में पूरी छूट, उसके बाद पांच वर्ष तक 50 प्रतिशत छूट और बाद के पांच वर्षों में लाभ पर 50 प्रतिशत की छूट, केंद्रीय बिक्री कर से छूट, सेवा कर से छूट और इकाइयों की स्थापना में एकल खिड़की अनुमति की व्यवस्था शामिल है।

कांडला और सूरत (गुजरात), सांताक्रुज (महाराष्ट्र), कोच्चि (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), विशाखापट्टनम (आंध्रप्रदेश), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) और नोएडा (उत्तर प्रदेश) स्थित सभी आठ निर्यात संवर्धन क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया गया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत निजी/संयुक्त क्षेत्र में अथवा राज्य सरकारों और उसकी एजेंसियों को अब तक 366 विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमति प्रदान कर दी गई है। इनमें वे 142 स्वीकृतियां भी शामिल हैं जिनके लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों से प्राप्त लाभ इस बात का प्रमाण है कि निवेश, रोजगार निर्यात और अवसंरचनात्मक विकास में अतिरिक्त वृद्धि हुई है। दिसंबर, 2007 के अंत तक 5-6 बिलियन अमेरिकी डालर की एफडीआई सहित 1,00,000 करोड़ रुपये तक का निवेश होने की संभावना है। दिसंबर, 2007 तक 1,00,000 प्रत्यक्ष रोज़गार पैदा होने का अनुमान है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निवेश के गुणांक प्रभाव और अतिरिक्त आर्थिक कार्यकलाप से बहुत लाभ हुआ है तथा रोज़गार के अवसर पैदा हुए हैं, जो कर रियायतों और भूमि अधिग्रहण के कारण हुई क्षति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सरकार की दृढ़ विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय रियायत में स्थिरता नितांत आवश्यक है।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संचालन से पिछले पांच वर्षों का निर्यात इस प्रकार है :

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपये में)	विकासदर (पिछले वर्षों की तुलना में)
2003-2004	13,854	39%
2004-2005	18,314	32%
2005-2006	22,840	24.7%
2006-2007	34,615	52%
2007-2008	66,638	92%

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 से पहले स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निवेश और रोज़गार :

वर्तमान में एसईजेड में 1897 यूनिटें कार्यरत हैं जबकि एसईजेड कानून के लागू होने के समय इनकी संख्या 1141 थी और इनसे 1.99 लाख लोगों को रोज़गार मिल सका था। इनमें से 35 प्रतिशत महिलाएं थीं। इन एसईजेड में निजी क्षेत्र की भागीदारी 4043.28 करोड़ रुपये थी।

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के तहत अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निवेश और रोजगार :

- निवेश : 73,348 करोड़ रुपये
- रोजगार : 1,00,885 व्यक्ति

योजना और प्रभाव

विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना का देश में निवेश के प्रवाह और अतिरिक्त रोज़गार पैदा करने के प्रवाह में जबरदस्त गति आई है जो एक साक्षात् प्रमाण है। विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना से भारत और विदेश के दोनों निवेशकों में अत्यधिक अनुक्रियाएं पैदा हुई हैं जिसका प्रमाण उन विकास कार्यों की यह सूची है जिन्होंने विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए हैं :

- तमिलनाडु में नोकिया विशेष आर्थिक क्षेत्र।
- चंडीगढ़ में क्वार्क सिटी विशेष आर्थिक क्षेत्र।
- तमिलनाडु में फ्लैक्ट्रॉनिक्स विशेष आर्थिक क्षेत्र।
- तमिलनाडु में महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी।
- मोटोरोला, डेल और फॉक्सकॉन।
- आंध्रप्रदेश में अपाचे विशेष आर्थिक क्षेत्र।
- दिव्वीज लेबोरेट्रीज, आंध्र प्रदेश।
- राजीव गांधी प्रौद्योगिकी उद्यान, चंडीगढ़।
- ईटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र, चेन्नई।
- हैदराबाद जैम्स लिमिटेड, हैदराबाद।

भारत-यूरोप व्यापार

भारत के साथ कुल विदेशी व्यापार देशों की भागीदारी लगभग 22.5 प्रतिशत है। जबकि भारत से यूरोप के लिये होने वाला निर्यात साल 2006-07 में 28.87 अरब डालर था। इसी अवधि में 2005-06 की तुलना में भारत और यूरोप के साथ द्विपक्षीय व्यापार में 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गयी थी। जबकि इस अवधि में भारत से यूरोप को होने वाले निर्यात में 17 प्रतिशत और यूरोप से भारत को होने वाले निर्यात में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। भारत से यूरोप के लिये होने वाले निर्यात में सबसे ऊपर की पांच वस्तुएं रेडीमेड कपड़े और इससे जुड़ी अन्य वस्तुएं नग और आभूषण, मशीनें और औजार, पेट्रोलियम पदार्थ तथा परिवहन सामग्री शामिल हैं। जबकि यूरोप से भारत के लिए निर्यात होने वाली ऊपर की पांच वस्तुओं में इलेक्ट्रिकल वस्तुओं को छोड़कर सभी तरह की मशीनरी, मोती और अर्धनिर्मित कीमती नग पत्थर, इलेक्ट्रोनिक वस्तुएं, यातायात तथा परिवहन वस्तुएं तथा लोहा एवं इस्पात शामिल हैं।

यूरोपीय संघ के साथ व्यापार एवं निवेश संबंध

यूरोपीय संघ, ईयू. में फिलहाल 27 देश शामिल हैं। ये देश हैं—आस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, चेक

गणराज्य, डेनमार्क, एस्ओनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाक गणराज्य, स्लोविया, स्पेन, ब्रिटेन, बल्गारिया और रोमानिया।

भारत और ईयू के बीच बेहतर आर्थिक संबंध हैं। इन रिश्तों की बुनियाद भागीदारी और सहयोग पर आधारित अगस्त, 1994 में किये गये भारत–ईयू सहयोग समझौते तथा सितंबर, 2005 में घोषित की गयी भारत–ईयू रणनीतिक भागीदारी पर आधारित है। इसके अलावा भारत का ईयू के कई सदस्य देशों के साथ वाणिज्य, निवेश और दोहरे कराधान से बचने से संबंधित क्षेत्र में अलग से द्विपक्षीय सहयोग समझौता पहले से ही विद्यमान है। भारत का यूरोप के 22 देशों और ईयू के 17 देशों के साथ निवेश संरक्षण और प्रोत्साहन समझौता है। इसी तरह सें दोहरे कराधान से बचने का समझौता भी 26 देशों के साथ लागू है।

भारत ईयू द्विपक्षीय रिश्तों की समीक्षा भारत–यूरोपीय परिषद संयुक्त आयोग द्वारा आधिकारिक स्तर पर की जा रही है। इसकी पिछली बैठक जुलाई, 2008 में हुई थी। इस दौरान व्यापार, आर्थिक सहयोग एवं विकास सहयोग के क्षेत्र में तीन उप आयोग और कृषि एवं समुद्री वस्तुओं, वस्त्र, सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार, वाणिज्य मामले, पर्यावरण, इस्पात, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, दवा एवं जैव तकनीक और सेनेटरी एवं फाईटो सेनेटरी के क्षेत्र में व्यापार संबंधी तकनीकी बाधाओं के बारे में नौ संयुक्त कार्यसमूह कार्यरत हैं और इनकी रिपोर्ट पर संयुक्त आयोगों द्वारा विचार किया गया है।

भारत–अफ्रीका व्यापार

अफ्रीका महाद्वीप के उपसहारा क्षेत्र, एसएसए, में 50 से अधिक देश हैं। आम तौर पर भारत के अफ्रीकी देशों के साथ संबंध भौतिक दूरी भार और सूचना के अभाव जैसी बाधाओं के बावजूद करीबी और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। इस क्षेत्र के साथ भारत का व्यापार तेजी से बढ़ा है। एसएसए देशों के साथ भारत का व्यापार 2004–05 में 7572.65 मिलियन डालर के स्तर से बढ़कर 2007–08 में 1,97,05,3.37 मिलियन डालर तक जा पहुंचा। इस प्रकार इस अवधि में द्विपक्षीय व्यापार में 32.34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

एसएसए देशों के साथ भारत का निर्यात 2004–05 में 4218.23 मिलियन डालर से बढ़कर 83535.94 मिलियन डालर तक जा पहुंचा। इस प्रकार निर्यात में इसे 30.85 प्रतिशत की वृद्धि कहा जा सकता है। जबकि इसी अवधि में आयात 42.70 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 3354.42 मिलियन डालर से बढ़कर 1,11,517.43 मिलियन डालर हो गया।

निर्यात की प्रमुख वस्तुएं

सूत और कपास की वस्तुएं, दवाएं एवं रासायनिक तत्व, धातु से बनी वस्तुएं, मशीनें एवं अन्य औजार, हाथ से बने कपड़े एवं धागे, परिवहन से जुड़े औजार, कच्चा एवं अर्धनिर्मित लोहा एवं इस्पात, आरएमजी काटन एवं इससे जुड़ी वस्तुएं, प्लास्टिक एवं लिनोलियम वस्तुएं और कार्बनिक एवं अकार्बनिक केमिकल।

आयात की प्रमुख वस्तुएं

सोना, अकार्बनिक केमिकल, काजू, लकड़ी एवं लकड़ी से बने सामान, कच्ची धातु और इससे जुड़ी अन्य वस्तुएं, लोहा एवं इस्पात, काटन एवं बुने हुए तथा बिना बुने कपड़े, कोयला कोक एवं इससे जुड़ी

अन्य वस्तुएं, कागज लुग्दी और इससे जुड़ी अन्य वस्तुएं, नानफेरस मेटल, अकार्बनिक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक छोड़कर अन्य सभी तरह की मशीनें, कच्चा खाद्य, इलेक्ट्रानिक वस्तुएं, मोती और कीमती एवं मध्यम दर्जे की कीमती वस्तुएं।

फोकस अफ्रीका कार्यक्रम

भारत एवं अफ्रीकी देशों से साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के क्रम में 31 मार्च, 2002 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने फोकस अफ्रीका कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके अलावा इसी समय 2002 से 2007 के लिए आयात-निर्यात नीति भी घोषित की गयी थी। प्रारंभ में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिये सात अफ्रीकी देशों घाना, नाईजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, इथियोपिया, केन्या और मॉरीशस पर विशेष ध्यान दिया गया। इस कार्यक्रम के पहले साल में ही उत्साहजनक परिणाम देखते हुए सरकार ने साल 2003-04 के लिए उत्तरी अफ्रीका के छह देशों सहित पूरे अफ्रीका महाद्वीप के देशों के लिए इस कार्यक्रम के दरवाजे खोल दिये। इस कार्यक्रम के तहत सरकार ने भारत के साथ निर्यात संवर्धन परिषद और संगठनों के साथ अपना सहयोग भी बढ़ा दिया। इसके बाद इस परिषद और संगठनों के जरिये निर्यात को बढ़ाने के लिए कई तरह की नयी गतिविधियां शुरू की गयी। साल 2006-07 में फोकस अफ्रीका कार्यक्रम ने सफलतापूर्वक अपने पांच साल पूरे किये।

दक्षिण अफ्रीका सीमा संघ (एसएसीयू.) के साथ वरीयता व्यापार समझौता (पीटीए)

दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, स्वाजीलैंड, बोत्सवाना और नामीबिया ने साझा सीमा शुल्क नीति के तहत मिलकर एसएसीयू का गठन किया है। दोनों पक्षों की सरकारों के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त कार्यदल द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की दिशा में प्रस्ताव तैयार करने के लिए काम कर रहा है। भारत और एसएसीयू देशों के बीच पीटीए के लिए मसौदा संधि करने के लिए नामीबिया में 6 और 7 सितंबर, 2004 को संयुक्त कार्यदल की बैठक हुई जिसमें समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया। भारत दक्षिण अफ्रीका संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग की नयी दिल्ली में पांच और छह दिसंबर, 2005 को हुई बैठक के छठे सत्र में दोनों पक्षों ने युक्तियुक्त समय-सीमा के भीतर समग्र मुक्त व्यापार समझौता किये जाने पर सहमति जतायी और ऐसा होने तक निर्दिष्ट वस्तुओं के सीमा शुल्क में छूट देने पर भी सहमति जतायी जिससे कि द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाया जा सके।

मारीशस के साथ समग्र आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता (सीईसीपीए)

भारतीय प्रधानमंत्री की अप्रैल, 2005 में मारीशस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने सीईसीपीए को लागू करने पर सहमति जतायी और इसे अंतिम रूप देने के लिये दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को मिलाकर समझौता वार्ता समूह का गठन किया गया। अब तक इस बारे में इस समूह की सात दौर की बातचीत हो चुकी है। सातवें दौरे की बातचीत नई दिल्ली में सात जुलाई, 2006 को सम्पन्न हुई।

मारीशस के प्रधानमंत्री की अक्टूबर, 2005 में भारत यात्रा के दौरान निम्नलिखित द्विपक्षीय समझौतों और सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किये गये :

1. आपराधिक मामलों में आपसी विधिक सहायता संधि।
2. सजा प्राप्त व्यक्तियों के स्थानांतरण समझौता।

3. हाईड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के सहमति पत्र।
4. विभिन्न एजेंसियों के बीच मानकों के बारे में सहमति पत्र।
5. मारीशस सरकार और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के बीच सहमति पत्र।
6. वरीयता व्यापार समझौते पर सहमति पत्र।

इथियोपिया के साथ संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की बैठक :

जेटीसी की बैठक संस्थागत व्यवस्था के तहत व्यापार समझौते के कार्यान्वयन और आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए की जाती है। इथियोपिया के साथ जेटीसी की चौथी बैठक नई दिल्ली में पांच जून, 2006 को सम्पन्न हुई। भारत के वाणिज्य राज्यमंत्री जयराम रमेश और इथियोपिया के व्यापार एवं वाणिज्य राज्यमंत्री अहमद तुसा ने इस बैठक की अध्यक्षता की।

एसएसीयू के साथ पीटीए

भारत और एसएसीयू ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त समय सीमा के भीतर पीटीए और समग्र मुक्त व्यापार समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है। इस संदर्भ में एसएसीयू और भारत के बीच पांच और छह अक्टूबर को प्रिटोरिया में बातचीत हुई। इस सिलसिले में दूसरे दौर की बातचीत 21 और 22 फरवरी, 2008 को वालिवसवे में हुई।

मारीशस के साथ सीईसीपीए

भारत और मारीशस के बीच द्विपक्षीय व्यापार निवेश और सामान्य आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिये सीईसीपीए को अंतिम रूप देने की दिशा में दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है।

एमएमटीसी

एमएमटीसी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी व्यापार कंपनी है जिसका वार्षिक कारोबार सात बिलियन अमेरिकी डालर का है। यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी खनिज और अयस्क निर्यातक, कृषि उत्पादों की अग्रणी निर्यातक/आयतक, देश में कोयला और हाइड्रोकार्बनों तथा अलौह धातुओं के आयात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा भारत में तैयार उर्वरकों और उर्वरक का कच्चा माल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। यह कंपनी एशिया, यूरोप, अफ्रीका ओशियाना और अमेरिका आदि 65 से अधिक देशों में बड़े पैमाने पर बाज़ार में कमान कसती है। भारत में एमएमटीसी के घरेलू कार्य क्षेत्र में 76 कार्यालय, गोदाम और खुदरा बिक्री केंद्र हैं।

एमएमटीसी इस समय भारत में अव्वल दर्जे की व्यापारिक कंपनी है और साल 2007–08 में कंपनी ने अपना प्रदर्शन पहले से भी बेहतर करते हुए लगातार चौथे साल रिकार्ड स्तर पर 26,423 करोड़ रुपये का कुल कारोबार किया। इसमें साल 2007–08 में कंपनी द्वारा किया 3911 करोड़ रुपये का निर्यात भी शामिल है। निर्यात के मामले में कंपनी का यह अब तक सबसे बेहतर प्रदर्शन है। इसके अलावा इसमें अब तक का सबसे अधिक 20,450 करोड़ रुपये का आयात और 2062 करोड़ रुपये का घरेलू कारोबार भी शामिल है। इस प्रकार एमएमटीसी ने साल 2007–08 में कर अदा करने के बाद 2005 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। सन् 1963 में कंपनी की स्थापना के बाद यह अब तक का सबसे अधिक मुनाफा है।

एमएमटीसी ने अपनी व्यापार प्रक्रियाओं को मूल्यवर्द्धित बनाने और कामकाज में विविधता लाने की रणनीति के रूप में नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) की स्थापना की। इसके अंतर्गत उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर लगभग 2000 करोड़ रुपये की पूंजीगत परिव्यय से 11 लाख टन क्षमता का लौह और इस्पात संयंत्र तथा 8 लाख टन क्षमता की कोक भट्टी लगाई है।

एमएमटीसी सिंगापुर में अपने पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी इकाई एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि. (एमटीपीएल) का भी संचालन कर रही है। दस लाख अमरीकी डालर की शेयर पूंजी वाली इस इकाई की शुरुआत 1994 में दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अपना व्यापारिक प्रसार करने की नीति के तहत की गयी थी। सिंगापुर के कानून के तहत गठित इसे साल 2000 में इसके शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल ट्रेडर अवार्ड भी मिल चुका है। साल 2007–08 में एमटीपीएल ने 55.7 करोड़ डालर का कुल कारोबार किया जोकि इसका अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा। इसके साथ ही इसने कर अदा करने के बाद 19.5 लाख डालर का शुद्ध मुनाफा भी कमाया। जबकि 31 मार्च, 2008 तक कंपनी का कुल लाभ 91.4 लाख डालर हो चुका है।

अपने मूल मकसद में संलग्न रहते हुए एमएमटीसी अधोसंरचनात्मक व्यापार के विकास और प्रोत्साहन के काम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही है। अपने कार्यक्षेत्र के आयाम को विस्तार देने और कारोबारी गतिविधियों में बढ़ोतरी करने के लिए एमएमटीसी ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी का मार्ग अपनाते हुए कई रणनीतिक कदम उठाये हैं। इनमें मुख्य रूप से कमोडटी एक्सचेंज की शुरुआत करना, सोने और चांदी के फलक बनाने वाली इकाई स्थापित करना शामिल हैं। इस इकाई में सोने का शोधन करने वाली इकाई इसी का हिस्सा है। इस इकाई में पूर्ण निर्मित उत्पादों और आभूषणों की प्रभावी मार्केटिंग के लिए एमएमटीसी की देश में विभिन्न हिस्सों में निजी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों के साथ मिलकर खुदरा बिक्री केंद्रों की पूरी श्रृंखला शुरू करने की योजना है। इन दुकानों में एमएमटीसी के चांदी के आभूषण अपने ब्रांड 'सांची' के नाम से और सोने के आभूषण तथा स्वर्ण एवं रजत फलक भी बेचने की योजना है।

इसके अलावा खनन के क्षेत्र में निवेश के प्रयास के तहत एमएमटीसी खनिज तत्वों की खोज और खनन के लिए संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की योजना को मूर्त रूप देने में लगी है। इसके तहत खनिज लवण फेरस और नानफेरस धातुएं कीमती धातुएं, हीरा और कोयला आदि शामिल हैं। एमएमटीसी ने इस क्रम में झारखंड में एक कोयला खदान के आबंटन के लिए आवेदन किया था। इस पर उसे राज्य सरकार की ओर से 70 करोड़ मीट्रिक टन कोयले की संभावित मौजूदगी वाली खदान का आबंटन कर दिया गया है। इस खदान में खनन का काम शीघ्र शुरू हो जाएगा। एमएमटीसी ने कच्चे लोहे की खदानें भी उसे किराये पर आबंटित करने का आवेदन किया है।

आधारभूत क्षेत्र में एमएमटीसी को पहले से ही चेन्नई बंदरगाह से एन्नोर बंदरगाह तक कच्चे लोहे की लदाई के लिए एक अस्थाई घाट विकसित करने के काम में अपना योगदान दे रहा है। इसके अलावा एमएमटीसी एन्नोर बंदरगाह पर कच्चे लोहे की लदाई के लिये स्थायी

घाट के निर्माण कार्य से जुड़ी परियोजिना में भी अपनी अंशधारिता सुनिश्चित कर रहा है। साथ ही एमएमटीसी द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हल्दिया, ग्रेटर नोएडा और कांडला में मुक्त व्यापार क्षेत्र और मालगोदाम स्थापित कर रहा है।

एमएमटीसी ने रेल विभाग की मालगाड़ी के अपने डिब्बे आबंटित कराने की योजना के तहत डिब्बे आबंटित करा लिये हैं। इसके अलावा कंपनी बेल्लारी होसपेट में ढेलेनुमा कच्चे लोहे का संवर्द्धन संयंत्र शुरू करने के अलावा पर्यावरण और पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए फायदेमंद माने जाने वाली शुद्ध ऊर्जा के लिए कर्नाटक में मार्च, 2007 में 15 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला पवनऊर्जा संयंत्र भी शुरू करने जा रही है।